

दिनांक 26/9/2025

पत्रांक 1780 / 13सी.
सेवा में,

उपवन सरक्षक,
रुद्रप्रयाग।

विषय:-

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ककोला-शीशें-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है. वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

अपर सचिव उत्तरखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 833/X-418/1(138)/2018 दिनांक 10.09.2018/12-1(2) दिनांक 23-08-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पुनः निम्नवत् प्रेषित है:-

क्र.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 1253481.00 की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/ RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्न-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं.-566 एवं भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. हेतु रुपये 547281.00 मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEET/RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्न-1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 79 पर संलग्न कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है। वचनबद्धता की सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्न-2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007.एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा रां. एस. वी. 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती, की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयकों का भुगतान (स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव व एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही रुपये 1800762.00 मात्र की धनराशि का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। (संलग्न-1 के अनुसार)

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन कड़ाई से किये जाने का प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 54 से 58 पर संलग्न कर उच्च स्तर को प्रेषित किये गये हैं। बचनबद्धता की सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्न-3)
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 49 से 53 पर संलग्न कर उच्च स्तर को प्रेषित किये गये हैं। बचनबद्धता की सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्न-4)
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	अनुपालन किया जायेगा
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयवर्णित प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:-

1. एन.पी.वी. की दरों में बढोत्तरी से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र सत्यापित छायाप्रतियों में।
2. मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड्डे स्थानों पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र 3 सत्यापित छायाप्रतियों में।
3. एन.पी.वी. भुगतान की रशीद एवं 3 सत्यापित छायाप्रतियों में।

o/c

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

दिनांक 20/9/2025

पत्रांक 1780/13सी.

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

o/c

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

प्रपत्र-51

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत चक्रोला-शीशों-अमरसौन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-समझदार-कण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

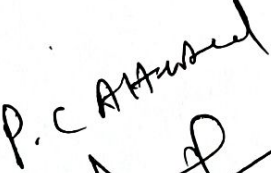
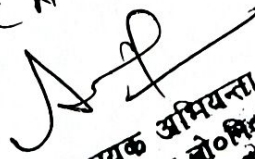
एन.पी.टी.की सती दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिराशी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


P. C. Anand

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

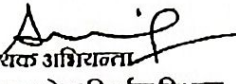
परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत कचोला-शीशों-अमरासोन्दला-कट्याकोट-जयकण्ठी-सगड़धार-काण्डा-मणेशानगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु यन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन
किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

P. C. H. Singh



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड सो०नि०वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 27-11-2018

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6132113493
MoEF/SG File No.	1(138)/2018
Location.	UTTARANCHAL
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, Rudraprayag
Amount(in Rs)	1800762/-

Amount in Words :Eighteen Lakh Seven Hundred and Sixty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896132113493 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies m:
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

(Signature)
Executive Engineer
Const. Div. P.W.D
Ukhimath (Rudrapryag)

(Signature)
सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं सोपानिक
उद्योग (अप्रयाग)

प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain

relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.833** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Construction of Kakola-Sieson-Amartondla-Jaikandi-Bagadhar-Kanda-Ganeshnagar motor road** (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of ~~Phaxton~~ Phaxton villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.833** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature


District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.



सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं सोनोमोडि
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-30.1

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr....Mangesh S. Chikdiyal..... District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 7/2/2018 at time 5:00 PM in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.833 hectare for the construction of Kakola-Sieson-Amartondla-Jaikandi-Bagadhar-Kanda-Ganeshnagar motor road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.

हस्ताक्षर
District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.

हस्ताक्षर
महाराष्ट्र अधिपति
निर्माण एवं संरक्षण
अधीन (अधिका)

परियोजना का नाम: - जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण - पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.735 हे० पंचायती वन भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.098 हे० भूक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल 0.833 हे० पंचायती वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- ऊखीमठ) की दिनांक 12-12-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| 1- | श्री गोपाल सिंह वैद्य | उपजिलाधिकारी | तहसील ऊखीमठ | अध्यक्ष |
| 2- | श्री मणिमल सिंह | उपप्रभागीय वनधिकारी | रूद्रप्रयाग वन प्रभाग | सदस्य |
| 3- | श्री हर्षवर्धन झा | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | वि.क.स. खण्ड 34 | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री माधुवी देवी | बी०डी०सी० क्षेत्र | पंचायत | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.833 हे० वनभूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनधिकारी श्री मणिमल सिंह द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.833 हे० वनभूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बी०डी०सी०
सदस्य
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
उपप्रभागीय वनधिकारी

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रूद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक जमियन्ता
निर्माय खण्ड लो०नि०वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - पारतोन्दला

तहसील - ऊखीमठ, **जिला -** रुद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु पंचायती वनभूमि 0.735 है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.098 है० मक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल 0.833 है० पंचायती वनभूमि का लो०नि०वि० के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01/12/2017 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० द्वारा आवेदित पंचायती वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पंचायती वनभूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पंचायती भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पंचायती वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पारतोन्दला के ग्रामवासियों को उक्त पंचायती वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो०नि०वि० को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच

वनी पंचायत

ककोला-शीशों-अमरतोन्दला

ककोला-शीशों-अमरतोन्दला

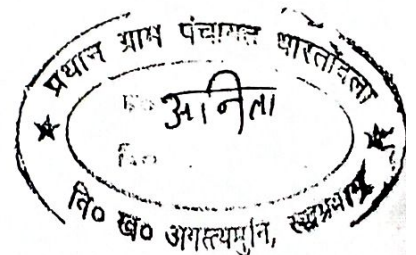
पार - लो०नि०वि०

सरपंच

सहायक अभियन्ता

P.C. Sharma
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रधान
ग्राम पंचायत



प्रपत्र-30.4

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

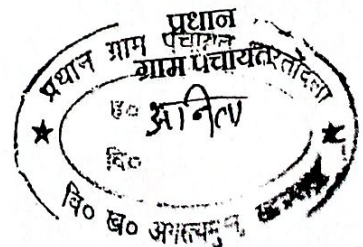
दिनांक ०१/१२/२०१७ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - अमरतोन्दला

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	प्रेम सिंह	
2	कमल सिंह	
3	राजेन्द्र सिंह	
4	गोपाल सिंह	
5	जगदीश सिंह	
6	जयपाल सिंह	
7	रघुवीर सिंह	
8	देवेन्द्र सिंह	
9	राजे सिंह	
10	गजपाल सिंह	

P.C. Arora
सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लो०नि०वि०
ऊखीमठ (कटरवाला)

सम्पन्न
वन पंचायत
ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर
मार्ग - तोन्दला
सम्पन्न
ऊखीमठ (कटरवाला)



54

Geological Assessment of 3.0 Km long Alignment Corridor proposed for the Construction of Kakola- Sleson-Amartola- Jalkandi-Bagadhar-Anda- Ganeshnagar Motor Road, Distt. Rudraprayag.

Vijay Dangwal
06.06.2015

Introduction:- The Construction Division Public Works Department, Ukhimath has been entrusted for the construction of 3.00 km long motor road vide G.O. No. -737/ Disc./2013-14 Dated 20/11/2013. On the request made by Shri Manoj Das, Executive Engineer, PWD Ukhimath, I carried out the geological assessment of the proposed alignment corridor of this road on 25.04.2015. Shri Andeep Rana, Asstt. Engineer and Shri Ashok Kumar, Jr. Engineer, also accompanied the site visit.

2- Location :- The alignment corridor of this proposed motor road originates from Km. 3.50 of Chandrapuri -Guli - Ganeshnagar motor road.

3-Geological Assessment:- Geologically the alignment corridor of this proposed road falls in a part of Garhwal Lesser Himalayan Belt which is bounded by the Main Central Thrust (MCT) in the north and the Main Boundary Thrust (MBT) in the south. The rockmasses belonging to the Garhwal Group are exposed in this area and these are represented by the quartzites, chlorite schists, amphibolites and spillites. The terrain containing this alignment is characterized by the rugged and dissected topography containing the steep hill slopes and deeply dissected valleys. Fresh to moderate, fine to coarse grained, thinly to massive, hard and compact quartzites interbedded by the thin partings of phyllites/ chlorite schists and amphibolites are exposed along the alignment corridor. These rock masses are dissected by four prominent joint sets and most of these are marked by the long persistence. The facets of slopes are largely controlled by the bedding/ foliation joints oriented in the north- east direction and the joint set oriented in the southwest direction. The details of the joint sets recorded at the sites are given in the following table.

Table

Sl No	Feature	Dip Angle	Azimuth
1	2	3	4
1 ₁	Bedding joint (S ₀)	35°	N090
1 ₂	Joint	40°	N055
1 ₃	Joint	55°	N270
1 ₄	Joint	45°	N350

P. C. Attenuel
सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं सौराश्रित
उत्तराखण्ड (रुद्रप्रयाग)

The rocks exposed along the alignment corridor are largely overlain by the thick cover of overburden materials comprised of the composite soils. The rocks exposed to the ground exhibits high values of physical competency based on the manual tests performed at the site. The observed values of "Uniaxial Compressive Strength" of the ground forming rocks were ranging between 100 MPa to 200 MPa.

Most of this alignment corridor is occupied by the overburden material composed of the hill slope wash material. This overburden material contains angular rock fragments embedded in the silty clayey matrix. The soils deposited on the alignment slopes exhibits high values of physical competency especially under dry state. According to the assessment made at the site the "Undrained Shear Strength" of the ground forming soils was found ranging between 400 K Pa to 500 K Pa. And these are "Still" to "Very Still" soils in nature.

By and Large the alignment slopes are stable and free from any mass wasting activities. Nowhere land sliding/ ground subsidence /rock falls and ground deformation were noticed at the time of field survey.

On the basis of the study carried at the site and the facts given above the following recommendations are being made for the construction of the proposed road in question, which must be incorporated at the time of road construction and failing to these this report will be treated as cancelled.

4- Recommendations:-

- 1 To the possible extent of technology form the road bench by partial excavation of the hill slopes and partial filling on the valley side part, i.e. half cut half fill method.
- 2 Avoid deep box cuts and full excavation of the hill slope this is so as to maintain the overall stability of the hill slopes.
- 3 Protect the entire road by constructing hill and valley side properly designed retaining walls.
- 4 Make proper arrangements for the drainage of surface waters. The hill side long drains must have adequate cross section to accommodate the waters from the catchment and the surface of the road. The cross drainage arrangements shall be made such that the waters are disposed preferably on the natural drainages otherwise on the stable grounds.
- 5 The entire surface of the road shall be sealed by the black top immediately.
- 6 The excavated waste shall be used for the construction of road and walls based on its suitability.

P. C. Asthane
 सहायक अभियन्ता
 निम्न खण्ड लोन्निवि
 उन्नीस (अध्याग)

All the construction activities shall be carried as per the standard codes of practice and the guidelines of MoRIL.

Recommendations:- Geologically the 3.00 km long alignment corridor proposed for the construction of Kakola- Sieson-Amartola- Jaikandi-Bagadhar- Kanda-Ganeshnagar motor road located in Distt. Rudraprayag was found suitable for the construction.

V. Dangwal

(V. Dangwal)

Senior Geologist
Office of the Engineer in Chief
Public Works Department
Dehradun

Photocopy attested

*सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)*

Photo Copy Attested

*सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)*

P.C. Attested

*सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)*

परियोजना का नाम:— VIPI-34
जिला योजना के अन्तर्गत कचोला-शीशो-अमरसोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-
सगड़मार-काण्डा गणेशानगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु, यन भूमि का लोन्निवि
को सराफाकरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये
सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।


कजिस्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

P.C Attached

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोन्निवि
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)